

**फा.1/129(11)/2020-भ.IV**

**संघ लोक सेवा आयोग**

**भर्ती-IV अनुभाग**

पद का नाम	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) के पद की तीन (03) रिक्तियां
विज्ञापन सं.	03/2021
रिक्ति सं.	21020301413

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 09.05.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे ।
- उम्मीदवारों को दिनांक 23.05.2022 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 06 आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है।
- 01 आवेदक ने “एलईक्यू-ए” श्रेणी के तहत एवं 05 आवेदकों ने “अपूर्ण” श्रेणी के तहत अपनी अस्वीकृति के खिलाफ अभ्यावेदन किया है। उनकी अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।
- तदनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो-क + अ.यो-ख 2 वर्ष तक बढ़ाया गया
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व	अ.यो-क + अ.यो-ख
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	57, 58, 59, 67, 80, 117, 118, 120, 125, 127, 138, 141, 154, 166, 178, 197, 217, 229, 248, 265, 272, 276, 279, 280, 282, 286, 298/299#, 309, 323, 328. (30 उम्मीदवार / 31 आवेदन)

# समामेलित

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू - क	75, 92, 199, 306, 311 (05 उम्मीदवार)
	एलईक्यू - ख	06, 11, 12, 17, 21, 27, 30, 31, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 49, 53, 55, 62, 73, 78, 81, 82, 89, 90, 96, 99, 100, 102, 103, 109, 123, 137, 147, 158, 164, 173, 183, 185, 188, 190, 193, 200, 202, 207, 212, 214, 218, 224, 230, 234, 240, 246, 250, 258, 259, 264, 270, 271, 281, 285, 295, 305, 307, 316, 318, 319, 320, 324, 325, 326. (70 उम्मीदवार)

	एलईसी	32, 46, 71, 94, 148, 167, 175, 206. (08 उम्मीदवार)
	<b>अपूर्ण</b>	
	<b>अपूर्ण होने के कारण</b>	<b>अनुक्रमांक</b>
	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	1, 8, 14, 18, 23, 24, 29, 40, 48, 63, 66, 74, 76, 77, 79, 85, 88, 91, 97, 101, 106, 122, 128, 132, 136, 139, 142, 143, 146, 149, 152, 155, 162, 163, 171, 182, 184, 186, 187, 189, 194, 209, 220, 236, 238, 256, 261, 262, 267, 268, 274, 278, 287, 290, 291, 293, 296, 297, 301, 302, 308, 310, 312, 314, 317, 321, 327. (67 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र अपूर्ण	07, 26, 36, 41, 47, 56, 86, 98, 110, 112, 126, 131, 151, 165, 177, 201, 223, 226, 232, 247, 251, 255, 263, 273, 283, 289, 292, 294, 300, 303, 304, 315. (32 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र ओआरए में किए गए दावे से मेल नहीं खाता	69, 70. (02 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र में कर्तव्यों की प्रकृति का उल्लेख नहीं है	25, 52, 61, 108, 176, 180, 219, 227, 228, 233, 243, 266, 269, 275, 277, 288. (16 उम्मीदवार)
	मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए	19, 169, 203, 215, 221, 235, 257, 322. (08 उम्मीदवार)
	डिग्री/प्रमाण-पत्र नहीं	313. (01 उम्मीदवार)
	जन्म तिथि प्रमाण-पत्र नहीं (10 वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र)	198, 284. (02 उम्मीदवार)
	अधिक आयु	113, 121, 245, 260. (04 उम्मीदवार)
	विचार क्षेत्र से बाहर	शेष 82 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।

<b>अपनाए गए मानदंड</b>	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है, यदि समर्थक प्रमाण-पत्र लगाए गए हो तो।</p> <p>(iii) भर्ती नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों का अनुभव संगत क्षेत्र में नहीं है, उन्हें <b>एलईक्यू - ख</b> के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(iv) अनारक्षित उम्मीदवारों के मामले में संगत अनुभव की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।</p> <p>(v) जिन उम्मीदवारों को किसी सरकारी या सूचीबद्ध निजी संगठन से लेखा परीक्षा या न्याय संबंधी</p>
------------------------	--

<p>लेखा परीक्षा क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है, उन पर विचार किया गया है।</p> <p>(vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. फा.8/84/2010-भर्ती(समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।</p> <p>(vii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र अथवा रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना उन्हें 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p><b>नोट:-</b> आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p>
---

**संकेतक:**

- एलईक्यू - 'क' - अनिवार्य योग्यता - 'क' में कमी  
एलईक्यू - 'ख' - अनिवार्य योग्यता - 'ख' में कमी  
एलईसी - बढ़ाए गए मानदंड में कमी

**उप सचिव**

विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।